Neutral Citation
2019 : CGHC : 10564

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या 87/2015

राकेश सिंह बैस पिता श्री स्वर्गीय डी.एस. बैस, आयु लगभग 48 वर्ष
निवासी बी–37 सेंचुरी कॉलोनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर
रायपुर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग
   मंत्रालय, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय रायपुर,
   जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. पुलिस अधीक्षक, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. थाना प्रभारी, पुलिस थाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर
   थाना रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए: श्री शक्ति राज सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरवादियों के लिए: श्री प्रियांक राठी, पैनल वकील

माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

04/04/2019

1. याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन–डी.डी. नगर, रायपुर द्वारा तैयार की गई आपराधिक/गुंडा सूची में अपना नाम हटाने की मांग की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि उसके खिलाफ दर्ज 9 आपराधिक मामलों में उसे पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है और वह छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन (जिसे आगे "पुलिस विनियमन" कहा जाएगा) के विनियमन 855 के अंतर्गत नहीं आता है।

2. उत्तरवादी/राज्य ने अन्य बातों के साथ–साथ यह कहते हुए अपना जवाब दाखिल किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, यद्यपि उनमें से कुछ में उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया है फिर भी उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए, उसका नाम उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा तैयार की गई गुंडा सूची में रखा गया है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री शक्ति राज सिन्हा ने कहा कि उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता का नाम गुंडा सूची में केवल इस आधार पर डालना पूरी तरह अनुचित है कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे यद्यपि उनमें से अधिकांश में उसे पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है और निगरानी भी नागरिकों के सीमित वर्ग तक ही सीमित है जो आपराधिक जीवन जीने के लिए दृढ़ हैं या जिनके पिछले इतिहास से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे ऐसा जीवन जीएंगे, इसलिए याचिकाकर्ता का नाम उक्त सूची से हटाने का निर्देश दिया जाए और याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी/राज्य के विद्वान वकील श्री प्रियांक राठी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास है और उसे 11 आपराधिक मामलों में आरोप–पत्र दिया जा चुका है, यद्यपि उनमें से कुछ में उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया है और वह आपराधिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर रहा है, इसलिए उत्तरवादी संख्या 4 ने उसे उचित खतरा मानते हुए और उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि वह ऐसा ही जीवन जीएगा और इसलिए उसका नाम गुंडा सूची में डालना उचित है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का नाम उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा तैयार की गई आपराधिक/गुंडा सूची में डाला गया है। धारा ।।। निगरानी का प्रावधान करती है। पुलिस विनियमन के विनियमन 855 में निम्न प्रावधान है:–

> "855. निगरानी के लिए उपयुक्त व्यक्ति.–सामान्य पर्यवेक्षण से अलग, उचित निगरानी उन व्यक्तियों तक सीमित होनी चाहिए, चाहे वे पहले से दोषी हों या नहीं, जिनके खिलाफ ऐसी उचित सामग्री मौजूद हो जिससे यह राय बने कि वे अपराध का जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाते हैं, उन्हें ऐसे आपराधिक गतिविधियों तक सीमित रखा जाना चाहिए

> जो सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं और खतरनाक सुरक्षा जोखिम हैं। आपराधिक मामलों में केवल दोषसिद्धि, जहां समाज की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा नहीं है, इस विनियमन के तहत निगरानी की गारंटी नहीं देगी। जब पुराना अभिलेख या उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी में प्रविष्टियों से पुलिस अधीक्षक को यह विश्वास हो कि कोई विशेष व्यक्ति पूर्वोक्त अनुसार अपराध का जीवन जी रहा है, तो वह आदेश दे सकता है कि उसका नाम निगरानी रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर पुराना अभिलेख खोलेगा, यदि कोई पहले से मौजूद नहीं है और उस व्यक्ति पर नियमित निगरानी रखी जाएगी।"

पुलिस विनियमन के विनियमन 855 में केवल उस व्यक्ति पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया है जिसके विरुद्ध ऐसी उचित सामग्री मौजूद हो जिससे यह राय बने कि वह अपराधी जीवन जीने का दृढ़ निश्चय करता है, तथा उसे ऐसे आपराधिक कार्यों तक सीमित रखा जाए जो सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हों तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक हों। ऐसे आपराधिक मामलों में केवल दोषसिद्धि, जहां समाज की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा न हो, इस विनियमन के अंतर्गत निगरानी रखने का अधिकार नहीं रखती। जब पुराना अभिलेख में प्रविष्टियां या उसके पास उपलब्ध कोई अन्य सूचना पुलिस अधीक्षक को यह विश्वास दिलाती है कि कोई व्यक्ति पूर्वोक्त अनुसार अपराधी जीवन जी रहा है, तो वह उसका नाम निगरानी रजिस्टर में दर्ज करने का आदेश दे सकता है। यदि पुराना अभिलेख पहले से मौजूद नहीं है, तो सर्कल इंस्पेक्टर पुराना अभिलेख खोलेगा तथा उस व्यक्ति पर नियमित निगरानी रखी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश पुलिस विनियमन के विनियम 855 और 856 की वैधता पर विचार किया और माना कि प्रावधानों में वैधानिक शक्ति है, लेकिन आगे यह भी कहा कि विनियम असंवैधानिकता के बहुत करीब हैं और माना कि निगरानी भी नागरिकों के सीमित वर्ग तक ही सीमित है जो आपराधिक जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं या जिनके पूर्ववृत्त इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि वे ऐसा जीवन जीएंगे। यह इस प्रकार देखा गया:–

> "33. जब दो व्याख्याएं हों, एक व्यापक और असंवैधानिक, दूसरी संकीर्ण लेकिन संवैधानिक सीमाओं के भीतर, यह न्यायालय उन्हें वैध बनाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियों को पढ़ेगा। इस प्रकार, दोनों विनियम याचिकाकर्ता के वकील द्वारा हमें प्रभावित करने की मांग की तुलना में अधिक प्रतिबंधित हैं। विनियमन 855, हमारे विचार में, केवल उन व्यक्तियों की निगरानी करने का अधिकार देता है जिनके खिलाफ उचित

1 AIR 1975 SC 1378

सामग्री मौजूद है जो यह राय बनाने के लिए मौजूद है कि वे अपराध का जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाते हैं– इस संदर्भ में अपराध केवल उन तक सीमित है जो सार्वजनिक शांति या सुरक्षा को शामिल करते हैं और यदि वे खतरनाक सुरक्षा जोखिम हैं। आपराधिक मामलों में केवल दोषसिद्धि जहां कुछ भी समाज की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में नहीं डालता है, इस विनियमन के तहत निगरानी की गारंटी नहीं माना जा सकता है। इसी तरह, पुलिस द्वारा घरेलू दौरे और धरना–प्रदर्शन को सामुदायिक सुरक्षा के लिए खतरे के सबसे स्पष्ट मामलों तक सीमित किया जाना चाहिए, न कि सजा के अंत में या जेल से रिहाई या मनमर्जी के बाद नियमित अनुवर्ती कार्रवाई। एक पुलिस अधिकारी की। सच तो यह है कि वैधानिकता को छोड़कर, ये नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सार के साथ मेल नहीं खाते और राज्य को इन पुराने पुलिस नियमों को संशोधित करना चाहिए जो असंवैधानिकता के ख़तरे में हैं।

8. प्रेम चंद बनाम भारत संघ और अन्य[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि विश्वसनीय सामग्री के आधार पर स्पष्ट और वर्तमान खतरा होना चाहिए जो संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों और कार्यों को भयावह या खतरनाक या हिंसा से भरा बनाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. गोविंद (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों का पालन करते हुए, मध्य प्रदेश की खंडपीठ ने जोरावर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य[3] में माना है कि विनियमन 855 केवल उन व्यक्तियों पर निगरानी रखने का अधिकार देता है जिनके खिलाफ उचित सामग्री मौजूद है ताकि संबंधित अधिकारी की राय को प्रेरित किया जा सके कि ऐसी सामग्री अपराध का जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाती है। गोविंद (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपराध केवल सार्वजनिक शांति या सुरक्षा तक ही सीमित है और यदि वे खतरनाक सुरक्षा जोखिम हैं।

10. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जोरावर सिंह (पूर्वोक्त) मामले में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:–

"7. सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह माना है कि निगरानी को सशक्त बनाने वाले विनियम असंवैधानिकता के बहुत निकट हैं। यह खेदजनक है कि लगभग एक दशक पहले गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह और व्यक्त की गई आशा अब तक अनसुनी रह गई है और पुलिस विनियम वैसे ही बने रहने चाहिए। यह न्यायालय केवल यह आशा करता है कि कम से कम अब उन्हें संविधान की भावना के अनुरूप लाया जाएगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐसी परिस्थितियों

2 AIR 1981 SC 613
3 1985 JLJ 556

में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। सत्यापन के बाद सुरक्षा जमा की बकाया राशि याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाए।"

11. वर्तमान मामले में उत्तरवादी/राज्य की ओर से दाखिल जवाब से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसा कि अनुलग्नक आर/1 में दर्शाया गया है, जिनमें से 7 आपराधिक मामलों में उसे संदेह का लाभ देते हुए स्पष्ट रूप से दोषमुक्त कर दिया गया है, फिर भी उसका नाम गुंडा सूची में डालने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता ने अपराध का जीवन जीने का निश्चय कर लिया है और यदि उसका नाम गुंडा सूची में नहीं डाला जाता है और पुलिस विनियमन के विनियमन 855 का प्रयोग करते हुए उस पर निगरानी नहीं रखी जाती है, तो सार्वजनिक शांति और सौहार्द को गंभीर खतरा है। अन्यथा भी, सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अभिलेख पर नहीं रखा गया है, जिसमें उसे गुंडा सूची में डालने का निर्देश दिया गया हो, सिवाय इसके कि हलफनामे में कहा गया हो कि उसका नाम गुंडा सूची में डाल दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपर्युक्त के दृष्टिकोण में उत्तरवादी संख्या 3 और 4 को निर्देश दिया जाता है कि वे उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा तैयार की गई गुंडा सूची से याचिकाकर्ता का नाम तत्काल हटा दें।

13. रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है। व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur